

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में ~~...~~ -घुघ्ती-कैलानी-मसमौली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु 2.088 हे० गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता है, जो ग्राम ^{2.088} ~~...~~ पटवारी क्षेत्र ~~...~~ ^{देवाड़} ~~...~~ तहसील ~~...~~ जिला अल्मोड़ा के खाता सं० ~~...~~ ⁸ ~~...~~ खसरा सं० ~~...~~ ^{...} ~~...~~ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि अर्जित कर ली गयी है।

उक्त परियोजना की वन भूमि हस्तान्तरण की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उक्त भूमि का अमलदरामद (Mutation) वन विभाग के द्वारा कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

राज्य स्तरीय निरीक्षक,
क्षेत्र - ~~...~~
तहसील - ~~...~~
03/05/16

जिला-अल्मोड़ा (वन विभाग)

जिलाधिकारी
प्रान्तीय खण्ड

जिलाधिकारी स्याल्द
जनपद-अल्मोड़ा

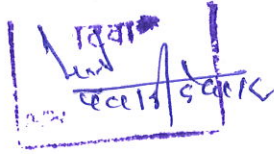
अतिक्रमण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

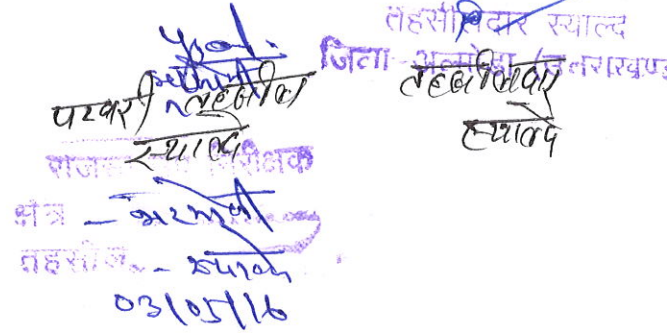
परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में देहात:-घुघ्ती-कैलानी-मसमौली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

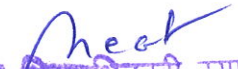
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उगलियासीम पटवारी क्षेत्र देघाट तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा में चयनित स्थल पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। चयनित भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


1/1/16


तहसील देघाट स्याल्दे जिला-अल्मोड़ा
परकर 2-21/06
क्षेत्र - अरमौली
तहसील - देघाट
03/05/16


उप जिलाधिकारी स्याल्दे
जनपद-अल्मोड़ा